

12.	कुल कठोरता (सीएसीओ ₃ के रूप में)	300.0
13.	क्लोराइड	250
14.	विलीन ठोस	500
15.	फिनोलिक मिश्रण (सी ₆ एच ₅ ओ एच के रूप में)	0.001
16.	जस्ता	5.0
17.	सल्फेट (एस ओ ₄ के रूप में)	200

परिवेशी वायु गुणवत्ता को मानीटर करना

25. भूमिभरण स्थल पर, गैस संग्रहण प्रणाली सहित भूमि भरण गैस निःस्रावण प्रणाली की स्थापना की जाएगी जिससे की दुर्गन्ध को कम से कम किया जा सके तथा गैसों के अपस्थलीय फैलने को रोकने और भरी गई भूमि में उगाई गई वनस्पतियों को बचाया जा सके ।

26. भूमि-भरण स्थलों से निकलने वाली मीथेन गैस का सान्द्रण न्यूनतम विस्फोटक सीमा (एल.ई.एल.) 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

27. भूमि भरण स्थल पर संग्रहण सुविधा से प्राप्त भूमि भरण गैस का उपयोग व्यवहार्यता के अनुसार या तो सीधा तापीय उपयोजन या विद्युत उत्पादन में किया जाएगा । अन्यथा, भूमि भरण गैस को जला दिया जाएगा और सीधे वायुमण्डल में या अवैध रूप से निकासी के लिए नहीं छोड़ा जाएगा । यदि इसका उपयोग और फ्लेरिंग संभव न हो तो पैसिव वेंटिंग की अनुमति दी जाएगी ।

28. भूमि भरण स्थल पर और इसके आस-पास परिवेशी वायु की गुणवत्ता को निम्नलिखित विहित मानकों के अनुसार मॉनीटर किया जाएगा ।

क्रम सं.	पैरामीटर	स्वीकार्य स्तर
(i)	सल्फर डाइआक्साइड	120 माइक्रोग्राम/एम ³ (24घंटे)
(ii)	निलंबित कण पदार्थ	500 माइक्रोग्राम/एम ³ (24घंटे)
(iii)	मीथेन	न्यूनतम विस्फोटक सीमा के 25% से अधिक नहीं (650 मि.ग्रा./एम ³ के समतुल्य)
(iv)	अमोनिया	
	दैनिक औसत (नमूना अवधि 24 घंटे)	0.4 मि.ग्रा./एम ³ (400यू. जी./एम ³)
(v)	कार्बन मोनोक्साइड	1 घंटे का औसत : 2 मि.ग्रा./एम ³ 8 घंटे का औसत : 1 मि.ग्रा./एम ³

29. परिवेशी वायु गुणवत्ता को संबंधित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित नियत समय के अनुसार मानीटर किया जाएगा ।

- (क) 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में एक वर्ष में छः बार ।
- (ख) 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में एक वर्ष में चार बार ।
- (ग) एक लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में एक वर्ष में दो बार ।

भूमि भरण स्थल पर पौधरोपण

30. तैयार स्थल को हरा-भरा बनाया जाएगा तथा निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जाएगा :

(क) स्थानीय रूप से अंगीकृत अरवाद्य बारहमासी पौधों का चयन जो सूखे तथा अत्यधिक तापमान के प्रतिरोधी हैं, को उगाने की अनुमति दी जाएगी ।

(ख) उगाए गए पौधे ऐसे होंगे जिनकी जड़े निम्न - पारगम्यता परत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी ।

(ग) चयन किए गए पौधों में न्यून - पोषक मिट्टी में न्यूनतम पोषक संवर्धन के साथ फलने-फूलने का सामर्थ्य होगा ।

(घ) मिट्टी के कटाव को कम से कम करने की दृष्टि से पौधरोपण किया जाएगा ।

भूमि भरण स्थल पर कार्य समापन तथा पश्चातवर्ती देखभाल

31. भूमि भरण स्थल कार्य समाप्ति के पश्चात् कम से कम 15 वर्षों तक उसकी देखभाल की जाएगी तथा लम्बी अवधि तक मानीटर और देखभाल योजना में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) सबसे ऊपरी परत को पूर्ण रूप से तथा उसके प्रभावी अनुरक्षण के लिए उसकी मरम्मत करते रहना और कटाव या किसी अन्यथा नुकसान से अनुरक्षण करना ।

(ख) अपेक्षानुसार विक्षालन संग्रहण प्रणाली को मॉनीटर करना ।

(ग) अपेक्षानुसार भू-जल को मॉनीटर करना तथा भू-जल गुणवत्ता को बनाए रखना ।

(घ) मानकों के अनुरूप भूमि भरण गैस संग्रहण प्रणाली का अनुरक्षण करना तथा चलाते रहना ।

32. भरे गए भूमि भरण स्थलों के पन्द्रह वर्षों के पश्चात् उपयोग पर मानव बस्ती में या अन्यथा प्रयोग किए जाने के बारे में यह सुनिश्चित करने के पश्चात् विचार किया जाएगा कि गैस तथा विक्षालन संबंधी विश्लेषण अधिकथित मानकों के अनुसार है ।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध

33. पर्वतों पर बसे शहरों तथा कस्बों में, नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड प्रदूषण समिति के अनुमोदन से ठोस अपशिष्टों के अंतिम व्ययन के लिए विकसित की गई स्थानीय विनिर्दिष्ट पद्धतियां अपनाई जाएंगी । नगरपालिका प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय कार्यात्मक अपशिष्टों को उपयोगी बनाने के लिए संसाधन सुविधएं स्थापित करेगी । निष्क्रिय तथा जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट सड़कें बनाने या पहाड़ों पर उपयुक्त क्षेत्रों की भराई करने में प्रयोग किए जाएंगे । पहाड़ी क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों के कारण सड़क पर विछानें या भराई के लिए उपयुक्त न पाए गए अपशिष्टों का निपटान विशेष रूप से डिजाइन किए गए भूमि भराई में किया जाएगा ।

अनुसूची 4

[नियम 6 (1) और (3), नियम 7 (2) देखें]

कचरा खाद और शोधित निक्षालनों और भष्मीकरण के मानक

1. अपशिष्ट प्रसंस्करण या निपटान सुविधाओं में कचरा खाद, भष्मीकरण, गुटिकाकरण, ऊर्जा प्रतिलाभ या ऐसी अन्य सुविधाएं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अनुमोदित अपेक्षित समुचित प्रौद्योगिकी पर आधारित होगी।
2. नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा निजी एजेंसी के नियुक्ति के मामले में, नगरपालिका प्राधिकार और प्राइवेट एजेंसी के बीच एक विशेष रूप से ठोस अपशिष्ट के प्रदाय और अन्य संबंधित शर्तों और निबंधनों पर विनिर्दिष्ट करार किया जाएगा।
3. कम्पोस्ट संयंत्र और अन्य प्रसंस्करण सुविधाओं से होने वाली प्रदूषण समस्याओं के निवारण के लिए निम्नलिखित का पालन करना होगा, अर्थात् :--
 - i. स्थल पर पहुंचने वाले अपशिष्टों को आगे प्रसंस्करण से पूर्व भलीभांति रख रखाव किया जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपशिष्ट भंडारण क्षेत्र ढका हुआ होना चाहिए। यदि ऐसा भंडारण खुले में किया गया हो तो निक्षालन शोधन और निपटान सुविधा तक पहुंचने वाले पंक्तिबद्ध नालों के निक्षालन/सतही जल अपवाह को इकट्ठा करने की सुविधा के साथ अपारगम्य आधार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
 - ii. गंध, कीड़े मकोड़े कुन्तक पक्षी के खतरे और आग के खतरे को कम करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जानी चाहिए।
 - iii. संयंत्र के ब्रेक डाउन/रखरखाव के मामले में अपशिष्ट अन्तर्ग्राही को बन्द कर दिया जाना चाहिए और अपशिष्ट को भूमिभरण की ओर दिशा परिवर्तन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
 - iv. प्रक्रिया सुविधा स्थल से प्रक्रिया पूर्व और प्रक्रिया पश्चात् अस्वीकार को नियमित आधार पर हटाया जाना चाहिए और उसे स्थल पर इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। पुनश्चक्रणयोग्य सामग्री उपयुक्त विक्रेताओं के माध्यम से आनी चाहिए पुनश्चक्रण के अयोग्य को अच्छी तरह डिजायन किए गए भूमिभरण स्थल (स्थलों) में भेजा जाना चाहिए।
 - v. कम्पोस्ट संयंत्र के मामले में विन्ड्रों क्षेत्र में पारगम्य आधार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ऐसा आधार कंक्रीट अथवा कम्पैक्ट क्ले, 50 सेंटीमीटर मोटी, जिसकी पारगम्यता गुणांक (10-7 सेमी/सेकेंड) के कम हो, का होना चाहिए। आधार में 1 से 2 प्रतिशत ढाल होनी चाहिए और इसके चारों तरफ निक्षालण। सतही अपवाह को इकट्ठा करने के लिए नालियां होनी चाहिए।
 - vi. प्रसंस्करण संयंत्र की बाहरी दीवार की ओर नीचे की हवा में विशेष रूप से गंध की जांच करने के लिए नियमित परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की जानी चाहिए।
 - vii. कम्पोस्ट का सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कम्पोस्ट गुणता के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्टियों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्

पैरामीटर	(मि. ग्रा/कि. ग्रा. शुष्क आधार पर पीएच वैल्यू और सीएन अनुपात को छोड़कर) से अनधिक* संकेन्द्रण
आर्सेनिक	10.00
कैडमियम	5.00
क्रोमियम	50.00
तांबा	300.00
सीसा	100.00
पारा	0.15
निकल	50.00
जस्ता	1000.00
सी/एन औसत	20-40
पी.एच.	5.5-8.5

*ऊपर कथित संकेन्द्र से अनधिक कंपोस्ट (अंतिम उत्पाद) खाद्य फसलों के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। तथापि, खाद्य फसलों को उगाने से भिन्न प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा।

4. शोधित निछालन के व्ययन में निम्नलिखित मानकों का पालन किया जाएगा, अर्थात् :-

क्र० सं०	पैरामीटर	मानक (व्ययन के तरीके)		
		अंतर्देशीय सतही जल	सार्वजनिक मलनाली	भूमि व्ययन
1.	निलंबित ठोस, मि० ग्राम/ली०, अधिकतम	100	600	200
2.	घुले हुए ठोस (अकार्बनिक) मि० ग्राम/लि०, अधिकतम	2100	2100	2100
3.	पी.एच. मान	5.5 से 9.0	5.5 से 9.0	5.5 से 9.0
4.	अमोनिकल नाइट्रोजन (एन के रूप में) मि० ग्राम/लि०, अधिकतम	50	50	-
5.	कुल कजेलडाहल, नाइट्रोजन (एन के रूप में) मि० ग्राम/लि०, अधिकतम	100	-	-
6.	जैव रसायनिक आक्सीजन मांग (27 सै० पर 3 दिन), अधिकतम मि० ग्राम/लि०	30	350	100
7.	रसायनिक आक्सीजन मांग, मि० ग्राम/लि०, अधिकतम	250	-	-
8.	आर्सेनिक (ए.एस. के रूप में) मि० ग्राम/लि०, अधिकतम	0.2	0.2	0.2
9.	पारा (एच.जी. के रूप में) मि० ग्राम/लि०, अधिकतम	0.01	0.01	-

10.	सीसा (पी.बी. के रूप में) मि० ग्राम/लि०, अधिकतम	0.1	0.1	-
11.	कैडमियम (सी.डी. के रूप में) मि० ग्राम/लि०, अधिकतम	2.0	1.0	-
12.	कुल क्रोमियम (सी.आर. के रूप में) मि० ग्राम/लि०, अधिकतम	2.0	2.0	-
13.	तांबा (सी.यू. के रूप में) मि० ग्राम/लि०, अधिकतम	3.0	3.0	-
14.	जस्ता (जैड.एन. के रूप में) मि० ग्राम/लि०, अधिकतम	5.0	15	-
15.	निकल (एन.आई. के रूप में) मि० ग्राम/लि०, अधिकतम	3.0	3.0	-
16.	सायनाइड (सी.एन. के रूप में) मि० ग्राम/लि०, अधिकतम	0.2	2.0	0.2
17.	क्लोराइड (सी.आई. के रूप में) मि० ग्राम/लि०, अधिकतम	1000	1000	600
18.	फ्लोराइड (एफ. के रूप में) मि० ग्राम/लि०, अधिकतम	2.0	15	-
19.	फिनोलिक मिश्रण (सी ^१ एच ^५ ओ. एच के रूप में) मि० ग्राम/लि०, अधिकतम	1.0	5.0	-

टिप्पण— अंतःभूतल जल में शोधित निष्कालनों को बहाते समय, बाहर जाने वाले निष्कालनों की मात्रा और इकट्ठा करने वाले जलाशयों में उपलब्ध विलीन जल की मात्रा पर सम्यक् ध्यान दिया जाएगा ।

5. इनसीनेटर निम्नलिखित प्वालन और उत्सर्जन मानकों को पूरा करेगा :-

क. प्रचालन मानक

- (1) कम्बुशन क्षमता (ईसी) कम से कम 99.00% होगी ।
- (2) कम्बुशन क्षमता की गणना नीचे दिए अनुसार की जाती है ।

$$\text{सीई} = \frac{\% \text{ सीओ}_2}{\% \text{ सीओ}_2 + \% \text{ सीओ}} \times 100$$

ख) उत्सर्जन मानक

पैरामीटर सान्द्रता मि. ग्रा / एनएम^३ (12 % सीओ₂ करेक्शन)

- (1) धूल कण 150
- (2) नाइट्रोजन आक्साइड 450
- (3) एचसीआई 50
- (4) न्यूनतम स्टेक उंचाई भूमि से 30 मीटर उपर होनी चाहिए ।
- (5) राख में वाष्पशील आर्गेनिक मिश्रण 0.01 % से अधिक नहीं होना चाहिए ।